भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

PDF DOWNLOAD

ROCHAK TATHYA

GK

CAREER

MCQ/QUIZ

भारत-पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान में सम्बन्ध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनैतिक मुद्दों कि वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस रिश्ते का मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए है और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक समझौते व युद्ध कर चुके हैं। इन देशों में तनाव मौजूद है जबकि दोनों ही देश भारत के इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक

पाकिस्तान के सभी पड़ोसी देशों तथा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि पश्चिमी देशों का यह आरोप रहा है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विभिन्न आतंकी कार्यवाइयों में लिप्त रहा है। सन 2011 में ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान की राजधानी के पास अमेरिका द्वारा मारे जाने पर यह आरोप पुष्ट हुआ है। इसे 'आतंकियों का स्वर्ग' कहा जाता है और संसार का सर्वाधिक ख़तरनाक देश माना जाता है।[तथ्य वांछित] प्रमुख इस्लामी आतंकी संस्थाएँ जैसे लश्कर-ए-तैयबा,

लश्कर-ए-ओमर, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिद्दीन, सिपाह-ए-सहाबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन आदि सब के सब पाकिस्तान में रहकर अपनी आतंकी गतिबिधियाँ चलाते हैं। कई मामलों में आईएसआई से इन्हें सक्रिय प्रशिक्षण एवं अन्य सहयोग मिलते हैं।

यदि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वह आतंकवादी घटना घटित नहीं होती तो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आई.एस.आई.) समर्थित अलकायदा आतंकवादियों का प्रभाव बढ़ना जारी रहता। इस विकास को किसी निश्चित सीमा में

बाँधना कठिन होगा। बस, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि इसे कुछ और वर्षों तक नियंत्रित नहीं किया जाता तो उसमें इनमें से कोई या सभी क्षमताएँ विकसित हो सकती थीं-

- चेचन्या के युद्ध को अन्य रूसी गणतंत्रों में विस्तृत किया जा सकता था।
- कश्मीर में गतिविधियों को उस स्तर तक विस्तृत किया जा सकता था, जहाँ भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का फैसला लेना पड़ सकता था।

- इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया में अधिक हिंसक इसलामी आंदोलन शुरू किए जा सकते थे।
- अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा किया जा सकता था।
- मध्य एशिया के कई भागों पर प्रभावी प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता था।
- विद्यमान सऊदी सत्ता पलट दी जाती या इसके कगार पर होती।
- यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के कई भागों में 11 सितंबर की तरह आतंकी हमले करने की प्रभावी क्षमता स्थापित की जा सकती थी
- परमाणु क्षमता का विकास किया जा सकता था।

- रासायनिक और जैविक हथियार विकसित किए जा सकते थे।
- अमेरिका तथा उसके हितों को पूरे विश्व में अधिक उच्च स्तरों पर नुकसान पहुँचाने की क्षमता विकसित की जा सकती थी।
- मध्य-पूर्व और अन्य स्थानों पर सत्तापलट करने के लिए इसलामी दस्तों के पूर्ण विकसित प्रशिक्षण केंद्र के रूप में अफगानिस्तान को विकसित किया जा सकता था।
- पाकिस्तान का तालिबानीकरण हो सकता था या पाकिस्तानी सेना और आई.एस.आई. के तत्त्वों के साथ पर्याप्त तालमेल किया जा सकता था।

- मध्य पूर्व और मध्य एशियाई तेल उत्पादन तथा प्रवाहों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा सकते थे।
- नशीले पदार्थों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थापित किया जा सकता था।
- अमेरिका, पश्चिम और विश्व में अन्य कहीं रह रहे मुसलमानों को उनकी आय का एक हिस्सा इसलामी कोषागार में देने के लिए आतंकित किया जा सकता था।
- विश्व पूँजी-प्रवाह को प्रभावित करने के लिए कई नकली कॉरपोरेशनों द्वारा विश्व की चुनिंदा कंपनियों को टेक-ओवर किया जा सकता था।
- बांगलादेश का जेहादीकरण किया जा सकता था।

सिंधु जल समझौता

सिन्धु जल संधि, नदियों के जल के वितरण लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस सन्धि में विश्व बैंक (तत्कालीन 'पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक') ने मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर, 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।

इस समझौते के अनुसार, तीन "पूर्वी" नदियों — ब्यास, रावी और सतलुज — का नियंत्रण भारत को, तथा तीन "पश्चिमी" नदियों — सिंधु, चिनाब और झेलम — का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। हालाँकि अधिक विवादास्पद वे प्रावधान थे जनके अनुसार जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, यह निश्चित होना था। क्योंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता है, संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के

निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। यह संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी कि नदियों का आधार (बेसिन) भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़े।

1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत

द्वारा किया जा सकता है। जिस समय यह संधि हुई थी उस समय पाकिस्तान के साथ भारत का कोई भी युद्ध नही हुआ था उस समय परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी पर 1965 से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा जिस में 1965 में दोनों देशों में युद्ध भी हुआ और पाकिस्तान को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा जिस में उस को अपना एक हिस्सा खोना पड़ा जो बंगला देश के नाम से जाना जाता है तब से अब तक पाकिस्तान आतंकवाद और सेना दोनों का इस्तेमाल कर रहा है भारत के विरुद्ध, जिस की वजह से किसी भी समय यह सिंधु जल समझौता खत्म हो सकता है

और जिस प्रकार यह नदियाँ भारत का हिस्सा हैं तो स्वभाविक रूप से भारत इस समझौते को तोड़ कर पूरे पानी का इस्तेमाल सिंचाई विद्युत बनाने में जल संचय करने में कर सकता है पंकज मंडोठिया ने समझौते और दोनों देशों के बीच के तनाव को ध्यान में रख कर इस समझौते के टूटने की बात कही है क्योंकि वर्तमान परिस्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि यह समझौता रद्द हो सकता है क्योंकि जो परिस्थिति 1960 में थी वो अब नही रही है।

क्या कभी सुधर पाएंगे भारत-पाक संबंध?

चौ दह साल के अंतराल के बाद भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों (डीजीएमओ) की बैठक 24 दितम्बर को सम्पन्न हुई। चौदह साल बाद ही सही लेकिन भारत औप पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की मुलाकात दोनों देशों के तल्ख रिश्तों में सुधार की नई पहल साबित हो सकती है। नियंत्रण रेखा पर आए दिन का संघर्ष अथवा सीमा संबंधी अन्य विवादों के निपटारे के लिए इस तरह की नियमित बैठकें होते रहना दोनों देशों के लिए जरूरी है।

तीन युध्दों से बरबादी

पिछले 66 वर्षों से दोनों देशों के बीच संबंध कभी मधुर नहीं रहे लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि पड़ोसी हैं तो क्यों न हंसी-खुशी से रहें, एक-दूसरे की प्रगति में भागीदार बनें, आपसी रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाए ताकि इसका फायदा जनता को भी मिल सके। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों की ओर से सरहद पर संघर्ष विराम, शांति और यथास्थिति कायम रखने की बात दोहरायी गई जिससे दोनों के आपसी रिश्तों को एक नए मुकाम तक पहुंचाया जा सके।

यदि डीजीएमओ की बैठक सकारात्मक माहौल में होती रहे और यहां बनी सहमतियों को कार्यों में तब्दील किया जाए तो यह निश्चित रूप से भविष्य में दोनों के बीच तनाव कम करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है परन्तु अब तक के पाक के रवैये को देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा और नीतियों के मामले में किसी तरह की जल्दबाजी से पहले वेट एंड वाच की रणनीति अपनानी चाहिए।

इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान को तीन युध्दों से बरबादी के अलावा कुछ और हासिल नहीं हुआ। इस वर्ष पाकिस्तान का सैन्य बजट 627 अरब रुपए का रहा जबकि भारत को अपने सैन्य बजट पर 2066 अरब रुपए खर्च करने पड़े। सुरक्षा

के नाम पर दोनों देशों का रक्षा बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। दोनों देश सम्पन्न राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आते। रक्षा बजट पर खर्च होने वाली राशि यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर खर्च हो तो दोनों देशों की तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी।

इस वर्ष 30 सितम्बर को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच न्यूयार्क में डीजीएमओ की बैठक शुरू करने पर सहमति बनी थी। कारगिल युध्द के पूर्व इसकी अंतिम बैठक हुई थी। दोनों के बीच तल्खी की मुख्य वजह सरहद पर अशांति और एक प्रायोजित आतंकवाद है। रस्म अदायगी के लिए होने वाली प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों अथवा

रक्षा मंत्रियों की बैठकों से न तो आज तक कोई नतीजा निकला है और न निकलने की उम्मीद ही है।

दोनों देशों के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं, उनमें हाथ मिलाने से अधिक जरूरी दिलों को मिलाना है। दिलों के मिलने से कई समस्याओं का निपटारा खुद ही हो जाता है। सैन्य अभियान महानिदेशकों की बैठक भी खानापूर्ति तक सिमट कर न रह जाए, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था करनी होगी।

जनवरी 2013 में दो भारतीय जवानों की हत्या, जिसमें से एक जवान का सिर काटने की शर्मनाक घटना सामने आई थी, वहीं अगस्त में पाक की ओर से गोलीबारी में

पांच भारतीय जवान शहीद हो गए थे। हाल ही में पाक सेना की ओर से करीब 15 दिनों तक सीमा पर गोलीबारी होती रही थी। 2013 में अब तक पाक की ओर से 195 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है और 267 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। नियंत्रण रेखा पर बेवजह होने वाला तनाव दोनों देशों के बीच दूसरे मुद्दों को प्रभावित करता है।

रिश्ते सुधारने की जरूरत

वर्ष 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का पाक सेना जब तब उल्लंघन करती रही है। भारत का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध रहे परन्तु

उसके अकेले के चाहने से रिश्ते मधुर नहीं हो सकते। पाक की दोमुंही रणनीति के कारण वार्ताएं जब तब पटरी से उतरती रही हैं। आज भी सीमा पार आतंकियों को पनाह और प्रशिक्षण मिल रहे हैं। साथ ही पाक सेना उन प्रशिक्षित आतंकियों की घुसपैठ में मदद करती रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इसके जरिए उसका मकसद भारत में आतंकवाद को बढ़ाना और जम्मू-कश्मीर को अशांत करना है।

इस बैठक में ब्रिगेडियर स्तर पर जल्दी ही दो जगहों पर फ्लैट मीटिंग शुरू करने, अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर प्रयोग किए जाने वाले तंत्र को मजबूत करने, मौजूदा हॉटलाइन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ ही निर्दोष नागरिकों को सीमा पार

करने पर जल्द लौटाने पर बनी रजाममंदी को निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। साथ ही पाक ने ऐसी व्यवस्था बनाने पर भी प्रतिबध्दता जताई है जिससे संघर्ष विराम समझौते को प्रभावी बनाया जा सके।

दोनों देशों के राजनेताओं को स्वीकारना होगा कि एक-दूसरे के खिलाफ नफरत का जहर फैला कर वे सत्ता की राजनीति करने में तो कामयाब हो सकते हैं लेकिन इससे रिश्तों में पड़ी गांठों के और उलझने का ही अंदेशा है। गांठों को सुलझाना है तो इसके लिए संबंध बेहतर होने के किसी भी अवसर का लाभ उठाने से हिचकिचाना नहीं

चाहिए। संबंध बेहतर होने से दोनों देशों का सर्वांगीण विकास होने से कोई रोक नहीं सकता।

हाल ही में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और पाक सेना को नए प्रमुख भी मिले हैं। दोनों ने भारत से रिश्ते सुधारने को प्राथमिकता देने की बात कही है। अब देखना होगा कि उनकी रजामंदी बातों में ही जाहिर होती है या जमीनी स्तर पर कुछ करके भी दिखाते हैं। इतिहास सबक लेने का सबसे अच्छा माध्यम है। जो हुआ, उसे भूलकर नई शुरुआत कभी न कभी तो करनी ही पड़ेगी। तो

फिर वह अभी आज से ही क्यों न शुरू हो जाए? दोनों देशों की तस्वीर और तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी।